अमृतसर केसरी

FRIDAY, 30 NOV 2018. AMRITSAR KESARI

विचार

कथनी और करनी में समरूपता रखना ही महान आत्मा का लक्षण है।

बिना लाइसैंस आई.एस.आई. मार्का प्रयोग करने वाले यूनिट पर बी.आई.एस. ने की रेड

यूनिट में ड्रिंकिंग वाटर पर लगाया जा रहा था आई.एस.आई. मार्का, बेसटीस ब्रांड के नाम से भरी जा रही थी पानी की बोतलें: डॉयरैक्टर बी.आई.एस.

अमृतसर, 29 नवम्बर (नीरज): बी.आई.एस.(ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) की तरफ से बिना लाइसैंस ड्रिंकिंग वाटर (पी.डी.डब्ल्यू.) पर आई.एस.आई. का मार्का प्रयोग करने वाले यूनिट पर रेड की गई है। जानकारी के अनुसार [illegible]

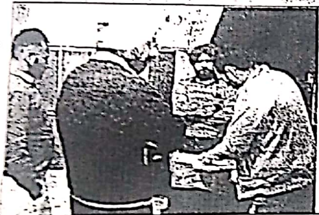
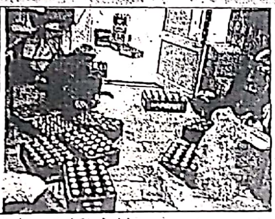

पानी की बोतलों के सैंपल लेते हुए जांच टीम व बोतलों की पैकिंग होने का दृश्य। (छाया)

[illegible] कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी रैगुलेशन एक्ट 2002 के तहत किसी भी खाने पीने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनी को आई.एस.आई.का मार्का लगाने के लिए बी.आई.एस.से लाइसैंस लेना जरूरी है लेकिन उक्त प्रतिष्ठान की तरफ से विभाग से किसी भी प्रकार का लाइसैंस नहीं लिया गया था लेकिन पीने के पानी की बोतलों पर आई.एस.आई.का मार्का लगाया जा रहा था जिसको रेड के दौरान पकड़ लिया गया। आई.एस.आई.मार्का वाली पानी की बोतलों के सैंपल भी ले लिए गए हैं।

बी.आई.एस.एक्ट 2016 तहत 1 वर्ष की सजा व लाख रुपए जुर्माना

अमृतसर: रेड टीम के अधिकारियों ने बताया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत यदि कोई व्यक्ति विभाग से लाइसैंस लिए बिना अपने खाद पदार्थों पर आई.एस.आई.का मार्का प्रयोग करता है तो उसमें नियमानुसार विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है जिसके तहत 1 वर्ष तक की सजा व एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है इस एक्ट के तहत इससे भी बड़ी सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर देखने में आया है कि कुछ प्रतिष्ठान जो खाने पीने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग करते बेचते हैं उसमें बिना लाइसैंस ही आईएसआई का मार्का लगा देते हैं जो पूरी तरह से गैरकानूनी है आम जनता को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों की जानकारी विभाग को देनी चाहिए।

महानगर में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं आई.एस.आई. मार्का मसाले

अमृतसर: केन्द्र सरकार की तरफ से खाद्य पदार्थों को निर्माण दौरान गुणवत्ता की परख करने व जांच पड़ताल करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का गठन किया गया है इसके तहत जो खाने पीने वाली वस्तु गुणवत्ता पर खरा उतरती है उस पर आई.एस.आई. मार्का लगाया जाता है। आमतौर पर आईएसआई मार्का देखने के बाद उपभोक्ता को इस बात का अहसास होता है कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है उसकी गुणवत्ता सही है लेकिन जिला अमृतसर की बात करें तो आज भी कुछ मसाले बनाने वाले कुछ कंपनियां आई.एस.आई.व अन्य मार्कों का बिना लाइसैंस प्रयोग कर रही हैं और उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

उपभोक्ता यहां कर सकते हैं मिलावटखोरों की शिकायत

अमृतसर: बी.आई.एस. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाने पीने वाली वस्तुओं में मिलावटखोरी करने वालों की शिकायत बी.आई.एस.प्लाट नंबर 42, सैक्टर 27बी, ब्रांच ऑफिस सैकेंड, मध्य मार्ग चंडीगढ़ में की जा सकती है इसके अलावा टेलीफोन नंबर 0172-2650290 पर भी संपर्क किया जा सकता है विभाग की तरफ से सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाता है।

पुलिस पर फायरिंग करने वालों का रिमांड 1 दिसम्बर तक बढ़ा, पूछताछ जारी

पकड़े गए 6 आरोपियों की पृष्ठभूमि अपराधिक, कइयों के विरुद्ध हैं मामले दर्ज

तरनतारन, 29 नवम्बर (रमन): [illegible]

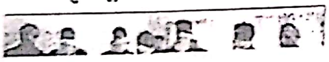

पुत्र सुरजन सिंह निवासी लुहका थाना सदर तरनतारन, -

2 व्यक्तियों को घर बुला हथियारों के दम पर बनाई अश्लील वीडियो

तरनतारन, 29 नवम्बर (रमन): 2 व्यक्तियों को बहाने से घर बुला कर निर्वस्त्र कर और हथियारों के बल पर उनको ब्लैकमेल करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने, सोने की अंगूठियां

जानकारी देते पीड़ित प्रताप सिंह, मनप्रीत सिंह व अन्य। (रमन)

अतिरिक्त 8 अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे मारपीट करनी शुरू कर दी। उक्त सभी ने प्रताप सिंह व मनप्रीत सिंह को दातर, कृपाणों का डर दिखा उनकी बाहों को रस्सी से बांध दिया और उनके सारे कपड़े उतार कर उनकी अश्लील वीडियो [illegible]

हजार रुपए देने उक्त आरोपियों के घर गए, जिन्होंने रकम वसूलते हुए बनाई गई वीडियो व सामान वापस नहीं किया। इस पर थाना सिटी की पुलिस को सूचना देते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।

Scanned by CamScanner